...ायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

...शल संख्या 66/2014 निर्णय दिनांक :–15.04.2021

उनवानी दावा :

रामनिवास पुत्र श्री मोडूराम जाति रेगर निवासी घाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

– वादी–

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार जी, देवली तहसील दूनी जिला–टोंक

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–

श्री महावीर सिंह राठौड़ **पेरोकार सरकार**
अधिवक्ता वादी

दावा उद्घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है आराजी खसरा नं0 289 रकबा 1.17 है0 के नये खसरा नं0 865 रकबा 1.17 है0, साबिक खसरा नं0 352/3 मी0 रकबा 10 बीघा हाल खसरा नं0 1213 रकबा 25.74 है0 वाके ग्राम घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक मे स्थित है। उक्त वर्णित भूमि में से वादी की कब्जे–काश्त की भूमि खसरा नं0 865 रकबा 1.17 है0 व खसरा नं0 1213 रकबा 25.74 है0 में से 0.80 है0 भूमि पर वादी का करीब 20 वर्षो से कब्जा–काश्त बिना किसी बाधा के चला आ रहा है तथा वादी ही उक्त भूमि की राजस्व पेनल्टियां जमा करवाता आ रहा है। वादी द्वारा उक्त भूमि का कब्जा संभालने के पश्चात उक्त भूमि को काबिल–काश्त बनाया तथा स्वयं के खर्चे से उक्त आराजी को विकसित किया एवं काश्त करने योग्य बनाया है। वादी ने राजस्व एवं भू सुधार विशेष अभियान वर्ष 1977 के तहत भी जिला कलेक्टर महोदय टोंक को आवेदन किया था। जिसकी विधिवत सूचना अब तक वादी को नही दी गई है। वादी का उक्त भूमि पर करीब 20 वर्षो से कब्जा–चला आ रहा है जिसे एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी के हक में खातेदारी अधिकारी निहीत हो गये है। इसमें वादी को सभी वैधानिक अधिकार प्राप्त है। उक्त वर्णित भूमि पर वादी का करीब 20 वर्षो से निर्बाध रूप से कब्जा–काश्त होने व एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी के उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे कि वो वादी को बेदखल नहीं करे, आराजी को किसी अन्य को अलॉट नहीं करे।

पेरोकार सरकार का जवाब निम्नानुसार है:–वादपत्र का चरण नं0 1 स्वीकार है। खसरा नं0 865 साबिक 352/1 से वादी बनना बता रहा है जबकि मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नं0 865 साबिक खसरा नं0 289 से बना है, वादी हाल खसरा नं0 1213 साबिक 352 में काश्तकर रहा है। अतः दावा खारिज योग्य नही है। वादपत्र का

नं0 3 स्वीकार नही है। वादी ने 20 वर्ष पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहा है लेकिन कब्जा काश्त रिपोर्ट धारा '91' संवत 2070 को ही वाद मे पेश की है। लगातार पजेशन साबित नही है जिसको किस्म गै0मु0 तालाब है। धारा '16' में वर्णित भूमि है। दावा अस्वीकार योग्य है। वादी का कब्जा खसरा नं0 1213 में है जिसको किस्म गै0मु0 तालाब है, धारा '16' मे वर्णित भूमि है दावा अस्वीकार योग्य है। भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण मे होने से आवंटन योग्य नही है। चरण सं0 7 न्यायालय से संबंधित है। चरण सं0 8 न्यायालय से संबंधित है। वाद धारा '16' में वर्णित भूमि गै0मु0 तालाब का है जो किसी भी आदेश से आवंटन योग्य नही है। प्रकरण खारिज योग्य है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया वाद पत्र का चरण नं0 1 स्वीकार है। खसरा नं0 865 साबिक 352/1 से वादी बनना बता रहा है जबकि मिलान क्षैत्रफल के अनुसार ख0नं0 865 साबिक ख0नं0 289 से बना है, वादी हाल ख0नं0 1213 साबिक 352 में काश्तकार रहा है। अतः दावा स्वीकार योग्य नही है। वाद पत्र का चरण सं0 3 स्वीकार नही है। वादी ने 20 वर्ष पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहा है लेकिन कब्जा काश्त रिपोर्ट धारा 91 सवंत 2070 को ही बाद में पेश की है लगातार पजेशन साबित नही है। अतः दावा स्वीकार योग्य नही है। वादी का कब्जा ख0नं0 1213 में है जिसको किस्म गै0मु0 तालाब है, धारा 16 मे वर्णित भूमि है दावा अस्वीकार योग्य है। भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण मे होने से आवंटन योग्य नही है। चरण सं0 7 न्यायालय से संबंधित है। चरण सं0 8 न्यायालय से संबंधित है। वाद धारा 16 मे वर्णित भूमि गै0मु0 तालाब का है जो किसी आदेश से आवंटन योग्य नही है। प्रकरण खारिज योग्य है।

प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर सुनवाई जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः– प्रदर्श–1 आवंटन हेतु आवेदन दिनांक 19.01.1983 की नकल प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस साबिक शीट प्रदर्श–3 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श– 4 पी–14 की नकल प्रदर्श–5 पेनल्टी की रसीदे। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी रामनिवास पुत्र श्री मोडूराम जाति रेगर निवासी घाड़ तहसील दूनी, पी. डब्ल्यू–2 दुर्गालाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति रेगर निवासी घाड़, पी. डब्ल्यू–3 राजाराम पुत्र नारायण मीणा निवासी घाड़ तहसील दूनी का पेश किया है। पेरोकार सरकार द्वारा जिरह पी. डब्ल्यू–1 ता 3 से की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी ख. नं. 856 रकबा 1.17 है0व ख. नं. 1213 रकबा 25.74 है0 में से 0.80 है0

लगभग वर्षो से अधिक काश्त करता आ रहा है। आज भी वादी का कब्जा काश्त है और नियमानुसार वाद पेनल्टी अदा करता आ रहा है। इसके लिए वादी ने रिकॉर्ड पेश किया है। तहसीलदार दूनी ने अपने जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। इसके लिए उच्च न्यायालयो ने कई बार इस सम्बन्ध में एडवर्ज पजेशन के आधार पर खातेदारी देने हेतु निर्देशित किया है। वादी व वादी के परिवार का भरण पोषण इसी आराजीयात से होता है, वादी के पास इसके अलावा कोई आराजी नहीं है। 20 वर्षो से अधिक समय तक कब्जा काश्त होने से वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः न्यायालय से प्रार्थना है कि वादी का दावा डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को ही बहस मानने हेतु प्रार्थना की।

तनकीवार निर्णयः–

तनकी नं. 1:– आया वादी वादग्रस्त आराजी ख. नं. 865 रकबा 1.17 है0 व ख. नं. 1213 रकबा 25.74 है0 जो वाके ग्राम घाड़ तहसील देवली, हाल तहसील दूनी स्थित है, को एडवर्स पजेशन के आधार पर अपनी खातेदारी घोषित करवाने व दुरूस्ती राजस्व रिकॉड की अधिकारिता रखते है ?

–वादी–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। इसके लिए वादी ने प्रदर्श–1 काश्त करने के लिए नई जमीन दी जाने हेतु आवेदन पत्र के पृष्ठ भाग में रामनिवास पुत्र मोडू जाति रेगर निवासी घाड़ को 352/3 रकबा 10 बीघा भूमि दस वर्षीय गैर खातेदारी हक पर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की जाती है, प्रदर्शित है। प्रदर्श–3 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 के अनुसार ख. नं. 352 मिन व 337 मिन से ख. नं. 1213 बनना दर्शित है। प्रदर्श–4 पी 14 जिसमें ख. नं. 1213 रकबा गै. मु. तालाब पर वादी का पड़त कब्जा दर्शित है और ख. नं. 865 रकबा 1.65 है0 के सम्बन्ध में वादी ने किसी भी प्रकार का राजस्व दस्तावेज पेश नहीं किया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्शित दस्तावेज के अनुसार वाद वर्णित भूमि पर ना तो वादी को आवंटित भूमि से वर्तमान खसरा नम्बर का मिलान है और न ही वादी का वाद वर्णित भूमि पर 20 वर्षो से कब्जा है। ख. नं. 1213 रकबा की किस्म गै. मु. तालाब है जो प्रतिबंन्धित भूमि है तथा गै. मु. तालाब पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 :– आया वादी प्रतिपक्ष को वादी कब्जेकाश्त में मजामहत नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का विधिक हकदार है?

तनकी नं. 2 को साबित करने का भार वादी पर था जिसको भी तनकी नं. 1 के निर्णयानुसार विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3 :– आया प्रतिवादी वाद वादीपक्ष न तो न्यायोचित है और ना ही विधिमान्य है ?

–पेरोकार सरकार–

तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब बहस में बताया कि वादी ने अपने वाद में खातेदारी देने के पक्ष में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है और वर्तमान में भी विवादित भूमि गै. मु. तालाब दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो धारा 16 में वर्णित भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकार देय नहीं है। अतः तनकी नं. 1 के निर्णयानुसारः तनकी नं. 2 विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः तनकीवार विवेचन करने पर यह स्पष्ट है कि वादी अपने वाद को साबित करने में असफल रहा है। अतः खातेदारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के अभाव व ख. नं. 1213 की किस्म गै. मु. तालाब धारा 16 में वर्णित होने से वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

[..]20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

[..]ज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक...

उनवानी दावा :

रामनिवास पुत्र श्री मोडूराम जाति रेगर निवासी घाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

— वादी—

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार जी, देवली तहसील दूनी जिला—टोंक

— प्रतिवादीगण —

दावा उद्घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 66 सन् 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री महावीर सिंह राठोड़ अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

खातेदारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के अभाव व ख. नं. 1213 की किस्म गै. मु. तालाब धारा 16 में वर्णित होने से वाद खारिज किया जाता है।

निजी..मुवलिक...बाबत् ....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .. .. की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 04 सन् 2021 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा ....

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए